<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 116 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-20 / 02 / 14</u> <u>फाईलिंग नं. 233504002852014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि क्त द्व

- बसंत पिता रामसिंग मेहरा उम्र 30 वर्ष.
- अशोक पिता पारन्या मेहरा उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी देवगांव, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 20.08.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/24, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.02. 2014 को रात 08:00 या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम देवगांव स्थित फरियादी के मकान के सामने लोक स्थान या उसके समीप फरियादी हीराबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी हीराबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में हाथ मुक्के से मारपीट कर फरियादी हीराबाई को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने से एवं संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2014 को शाम करीब 8 बजे फरियादी के घर के सामने अभियुक्तगण आये और उसे मारदचोद घर के बाहर निकलने को कहा जिस पर वह घर के बाहर निकली तो अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। अभियुक्त अशोक से उसका पहले मकान बंटवारा की बात पर से विवाद हुआ था। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त अशोक ने हाथ मुक्का से उसकी पीठ एवं दाहिने तरफ कान के पास मारा तथा अभियुक्त बसंत ने उसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे दाहिने पैर के घुटने में चोट आयी।

अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 134/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी हीराबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी हीराबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में हाथ मुक्के से मारपीट कर फरियादी हीराबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने से एवं संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 हीराबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण उसके घर के अंदर आकर गाली गलौच कर रहे थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे जो सुनने में बुरी लग रही थी। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के

लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही उक्त साक्षी ने घटना घर के अंदर की बतायी है ऐसी स्थिति में घटना स्थल लोक स्थान नहीं है जो कि धारा 294 भा.दं.सं. का मुख्य तत्व है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी हीराबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 7 हीराबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण उसके घर में आये थे। उसके घर के और आलमारी के ताले तोड़ दिये थे। इसके बाद हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे हाथ मुक्कों से बहुत मारा था जिससे उसे शरीर के सभी जगह चोट आयी थी। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गयी थी जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा पुलिस ने उसके सामने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) तैयार किया था।
- 8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.02.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त दिनांक को आहत हीराबाई का परीक्षण किये जाने पर उसके दोनों घुटने एवं दाहिने कान में दर्द की शिकायत होना पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—5) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किये हैं।
- 9 बिसनसिंह (अ.सा.—5) ने दिनांक 11.02.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 134/14 की केस डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—2) तैयार किया जाना तथा दिनांक 19.02.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—7 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।
- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मात्र फरियादी/आहत जिसके

शरीर पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं पायी गयी है। उसके एकमात्र कथनों पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से स्थापित होने का तर्क प्रस्तुत किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में लता (अ.सा.—2) एवं कमल (अ.सा.—3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं कि। है। उक्त दोनों ही साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य उक्त साक्षियों ने प्रकट नहीं किये हैं।

हीराबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है 12 कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण उसके घर के अंदर आ गये थे। उन्होंने घर के ताले और आलमारी के ताले तोड़ दिये थे फिर उसकी हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण से मकान को लेकर पूर्व से विवाद होना स्वीकार किया है। साथ ही पैरा क. 4 में बचाव के इस सुझाव को भी सही बताया है कि यदि अभियुक्तगण उसे मकान में शांतिपूर्ण रहने दे और विवाद न करे तो वह आज भी अभियुक्तगण से समझौता कर लेगी। पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह बेहोश हो गयी थी और उसे अस्पताल में होश आया था तथा पैरा क. 6 में इस साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने मेडिकल परीक्षण के दौरान उसने डॉक्टर को केवल अपने घृटनों में दर्द होने की बात बतायी थी। साक्षी ने स्वतः में यह कथन किया है कि उसके पूरे शरीर पर चोट थी। उसने सिर, आंख, पैर, पेट, मुंह एवं अन्य सभी स्थानों की चोट के संबंध में डॉक्टर को बताया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 7 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह अपने बाप–दादा के मकान में हिस्सा चाहती है। पैरा क. 4 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसने पुलिस के कहने पर मारपीट की रिपोर्ट की थी। स्वतः में उक्त साक्षी ने कहाँ है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी।

13 घटना दिनांक 09.02.2014 की रात्रि 8 बजे की है। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दोपहर में 12.40 बजे की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी 7 किलोमीटर लेख की गयी है। फरियादी हीराबाई के चिकित्सकीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं पायी गयी है। अभियोजन कथा अनुसार घटना फरियादी के घर के सामने की है। नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—2) के अनुसार भी घटना स्थल फरियादी के बाहर का है परंतु फरियादी हीराबाई (अ.सा. —1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना घर के अंदर की होना बताया है। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त अशोक ने फरियादी के साथ हाथ मुक्के से मारपीट की तथा अभियुक्त बसंत ने उसे धक्का देकर गिरा दिया जबिक फरियादी के न्यायालयीन कथन अनुसार दोनों अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथ मुक्के से

बहुत अधिक मारपीट की तथा उसके घर के ताले भी तोड़ दिये थे। स्पष्टतः उक्त साक्षी अतिश्योक्तिपूर्ण कथन कर रही है। यदि सामान्य मानवीय स्वभाव के अनुसार यदि दो लोग किसी एक व्यक्ति को हाथ मुक्कों से अत्यधिक मारपीट करे और उस व्यक्ति के शरीर पर एक भी चोट न आये ऐसा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। फरियादी हीराबाई (अ.सा.—1) के अभियोजन कथा एवं उसके न्यायालयीन कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन करीब 1 बजे लेख करायी गयी है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट लेख कराये जाने में विलंब अभियोजन कथा। को और भी संदेहास्पद कर देता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र आहत साक्षी के कथनों पर विश्वास कर अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हीराबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी हीराबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में हाथ मुक्के से मारपीट कर फरियादी हीराबाई को स्वैच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने से एवं संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण बसंत एवं अशोक को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)